न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16 / 354

1. छोटूलाल पुत्र श्योनारायण आयु 60 साल जाति धाकड निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामजानकी पत्नी भंवर लाल आयु 75 वर्ष जाति धाकड निवासी किसान कॉलोनी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. मदन लाल पुत्र भंवर लाल आयु 60 वर्ष जाति धाकड निवासी किसान कॉलोनी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. उच्छबलाल पुत्र भंर लाल आयु 65 वर्ष जाति धाकड निवासी किसान कॉलोनी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. बाबूलाल पुत्र भज्जा उर्फ चतुर्भुज आयु 55 वर्ष जाति धाकड हाल निवासी अस्पताल के सामने नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. कन्हैया लाल पुत्र लाल आयु 65 वर्ष जाति धाकड निवासी किसान कॉलोनी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. रामनिवास पुत्र लाल आयु 50 वर्ष जाति धाकड निवासी वार्ड नम्बर 18 नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. मोहन लाल पुत्र लाला आयु 45 वर्ष जाति धाकड निवासी वार्ड नम्बर 18 नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. रमेश पुत्र बरधी लाल बालिग जाति धाकड निवासी धकडों का झोंपडा ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. जितेन्द्र पुत्र बरधीलाल बालिग जाति धाकड निवासी धाकडों का झौंपडा ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. कल्याणी बेवा बरधीलाल बालिग जाति धाकड निवासी धाकडों का झौंपडा ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
12. कजोड पुत्र रामचन्द्र बालिग जाति धाकड निवासी धाकडों का झौंपडा ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
13. राजेश पुत्र जगन्नाथ बालिग जाति धाकड निवासी धाकडों का झौंपडा ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
14. रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ बालिग जाति धाकड निवासी धाकडों का झौंपडा ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
15. कैलाशी बेवा जगन्नाथ बालिग जाति धाकड निवासी धाकडों का झौंपडा ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
16. शोनाथ पुत्र रामकरण बालिग जाति धाकड निवासी धाकडों का झौंपडा ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
17. सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र बालिग जाति धाकड निवासी धाकडों का झौंपडा ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
18. किशन गोपी पुत्र रामकरण बालिग जाति धाकड निवासी धाकडों का झौंपडा ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
19. रूपनारायण पुत्र रामकरण बालिग जाति धाकड निवासी धाकडों का झौंपडा ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र श्योनारायण आयु 78 वर्ष जाति धाकड निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामप्रसाद पुत्र सुन्दरा आयु 40 वर्ष जाति धाकड निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. शोजी लाल पुत्र भंवर लाल आयु 47 वर्ष जाति धाकड निवासी किसान कॉलोनी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. शंकरी बेवा सुन्दा आयु 70 वर्ष जाति धाकड निवासी किसान कॉलोनी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. रोड़ू लाल नागर पुत्र गोपाल आयु 60 वर्ष जाति धाकड निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम केवल नगर, कोटा जिला कोटा ।
6. रामस्वरूप पुत्र गोपाल आयु 55 वर्ष जाति धाकड निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम केवल नगर, कोटा जिला कोटा ।
7. कमलेश नागर पुत्र श्री गोपाल आयु 45 वर्ष जाति धाकड निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम केवल नगर, कोटा जिला कोटा ।
8. काली बाई पत्नी कजोड आयु 50 वर्ष जाति धाकड हाल निवासी अस्पताल के सामने नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. विमल पुत्र कजोड आयु 35 वर्ष जाति धाकड हाल निवासी अस्पताल के सामने नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. बनवारी पुत्र कजोड आयु 35 वर्ष जाति धाकड हाल निवासी अस्पताल के सामने नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. हरिशंकर पुत्र लाल आयु 52 वर्ष जाति धाकड निवासी किसान कॉलोनी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
12. मंजू पुत्री बरधी लाल पत्नी प्रधान बालिग जाति धाकड हाल निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
13. विमला पुत्री जगन्नाथ बालिग जाति धाकड निवासी धाकडों का झौंपडा ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
14. बजरंगी पुत्री छीतर पत्नी मदन लाल जाति धाकड हाल निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
15. मनभर पुत्री रामचन्द्र पत्नी लडूलाल बालिग जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
16. कमला पुत्री रामकरण पत्नी रघुनाथ बालिग जाति धाकड हाल निवासी ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
17. छोटा पुत्री रामकरण पत्नी शंकर जी बालिग जाति धाकड हाल निवासी ग्राम सातखालियॉ तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
18. खानी पुत्री सुवा पत्नी रामस्वरूप बालिग जाति धाकड हाल निवासी ग्राम बालापुरा पंचायत बालापुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
19. भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब तहसील नैनवा जिला बून्दी।
20. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा श्रीयुक्त जिला कलक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, श्री रमेश कहार, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 28.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53, 188 एवं 92ए के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 3235 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 3236 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 3242 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 3380 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 3381 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 3382 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 3383 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 3384 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 3385 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 3387 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 3388 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 3389 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 3390 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 3391 रकबा 11 बिस्वा (गै0मु0 झरडा) खसरा नम्बर 3392 रकबा 10 बिस्वा (गै0मु0 चाह), खसरा नम्बर 3393 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 3429 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 3430 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 3643 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 3643/4136 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 3650 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा एवं खसरा संख्या 3650/4139 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 26 कुल रकबा 43 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 17 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन कराने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण व प्रतिवादीगण कम 1 से 17 को वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का 1/4 हिस्से का सहखातेदार आसामी घोषित किया जाकर मृतक सहखातेदारान श्योनारायण, गोपाल, भज्जा उर्फ चतुर्भुज, सुन्दरा व लाल के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 हिस्से का सहखातेदार दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण को विभाजन में प्राप्त उनके हिस्से की कृषि भूमि हिस्सा चाह पर से बेदखल नहीं करें और वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.06.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे पर गौर नहीं करके तथा तनकीयात न बनाकर दोनों पक्षों की साक्ष्य न लेकर आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के पूर्वज रघुनाथ एवं सुखा दो भाई थे । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया था और बंटवारे के आधार पर दोनों पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में उभय पक्ष द्वारा विधिक राजीनामा पेश नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में निर्णित कर दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 निरस्त फरमाई जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र हेतु लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान के द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश नहीं किया फिर भी उसी दिनांक को दावा डिक्री कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने न तो तनकीयात कायम की हैं और न ही साक्ष्य रिकॉर्ड पर ली है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हिस्से के अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की है । अपीलान्टगण यह आपत्ति करते हैं कि पूर्व में वादग्रस्त आराजी का बंटवारा हो चुका है परन्तु उसका कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । पक्षकारान सहखातेदार है, लोक अदालत में हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 16.06.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली में जवाबदावा पेश हो चुका है इसके उपरान्त एक प्रार्थना पत्र वादीगण के द्वारा पेश किया गया था जिसके जवाब प्रार्थना पत्र में पत्रावली लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान के द्वारा न तो कोई सहमति दी गई है और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है, इसी दिन दावा डिक्री कर दिया गया जो त्रुटिपूर्ण है । लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में प्रकरण का निस्तारण सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर दावे एवं

जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री लोक अदालत की भावना के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/9/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा